

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा०पत्र संख्या
15/72/2022

रजि० नम्बर
2022/112

प्रवेश तिथि
11.04.2022

निर्णय दिनांक
14.11.2022

1. प्रदीप पुत्र शिवचरण पुत्र बंसीधर जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।
2. तेजसिंह पुत्र शिवचरण पुत्र बंसीधर जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।

—प्रार्थीगण



1. पूनम पुत्री स्व० महेन्द्रप्रसाद जाति अहीर निवासी सिलारपुर पत्नी कुलदीप निवासी मकान नं० 496, नई कॉलोनी विजय बाग, नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर।

—असल अप्रार्थी

2. सतीश पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
3. पवन पुत्र पन्नालाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
4. नवनीत पुत्र रविन्द्र जाति अहीर निवासी सिलारपुर
5. रविन्द्र पुत्र महेन्द्रप्रसाद
6. सुरेन्द्र पुत्र महेन्द्रप्रसाद
7. बीना पुत्री महेन्द्रप्रसाद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
8. ओमप्रकाश पुत्र असरफी बाई अहीर निवासी सिलारपुर
9. चन्द्रकला पत्नी कंवरसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
10. चिम्मनलाल
11. जसवंत पुत्रान सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलारपुर
12. नरेश पुत्र ताराचंद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
13. नवलसिंह पुत्र असरफी बाई जाति अहीर निवासी सिलारपुर
14. नीतू पुत्री रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
15. वैदप्रकाश पुत्र गजानन्द जाति अहीर निवासी सिलारपुर
16. पुष्पेन्द्र पुत्र कंवर सिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
17. पिंकी पुत्री रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
18. बर्फी पत्नी रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
19. ब्रह्मदत्त पुत्र गजानन्द जाति अहीर निवासी सिलारपुर
20. लालदेवी पत्नी गजानन्द जाति अहीर निवासी सिलारपुर
21. मक्खन पुत्र असरफी बाई जाति अहीर निवासी सिलारपुर
22. मन्ता पुत्री रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
23. राजपाल पुत्र असरफी बाई जाति अहीर निवासी सिलारपुर
24. रामकिशन पुत्र ताराचंद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
25. रामरती पुत्री असरफी बाई जाति अहीर निवासी सिलारपुर
26. रामवीर पुत्र गजानन्द जाति अहीर निवासी सिलारपुर
27. रामावतार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलारपुर
28. लालचंद पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलारपुर
29. लाली पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलारपुर
30. विक्रम पुत्र रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
31. सर्मीला पुत्री रतनलाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
32. सुगना पुत्री ताराचंद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
33. संजीव पुत्र कंवरसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
34. संतोष पुत्री सूरजभान जाति अहीर निवासी सिलारपुर
35. सुमन पुत्री कंवरसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
36. होशियार पुत्र असरफी बाई जाति अहीर निवासी सिलारपुर
37. रामगिरी पत्नी नत्थू जाति अहीर निवासी सिलारपुर
38. रामरती पत्नी रामरख जाति अहीर निवासी सिलारपुर
39. नरसिंह पुत्र बख्तावर जाति अहीर निवासी सिलारपुर

जिला कलक्टर, अलवर

40. बाबूलाल पुत्र बख्तावर जाति अहीर निवासी सिलारपुर
41. भूरी पुत्री शिम्भू जाति अहीर निवासी सिलारपुर
42. रामविलास पुत्र बख्तावर जाति अहीर निवासी सिलारपुर
43. सत्यपाल पुत्र शिम्भू जाति अहीर निवासी सिलारपुर
44. सुरेश पुत्र बख्तावर जाति अहीर निवासी सिलारपुर
45. सोनडी पत्नी शिम्भू जाति अहीर निवासी सिलारपुर
46. अतरसिंह पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी सिलारपुर
47. अजीत पुत्र कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी सिलारपुर
48. कमलकिशोर पुत्र डोडा जाति अहीर निवासी सिलारपुर
49. कैलाश पुत्र मूलचंद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
50. मन्नालाल पुत्र गाहड जाति अहीर निवासी सिलारपुर
51. रामनिवास पुत्र गाहड जाति अहीर निवासी सिलारपुर
52. लालराम पुत्र गाहड जाति अहीर निवासी सिलारपुर
53. ज्योति पुत्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
54. जसवंत पुत्र देवकरण जाति अहीर निवासी सिलारपुर
55. जसवंत पुत्र मूलचंद जाति अहीर निवासी सिलारपुर
56. धर्मेन्द्र पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
57. शशीकांता पुत्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
58. सुशीला पत्नी सुबेसिंह जाति अहीर निवासी सिलारपुर
59. उप पंजीयक नीमराना
60. तहसीलदार नीमराना
61. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नीमराना
62. बी.ओ.बी. शाखा नीमराना
63. इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा नीमराना



—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री प्रदीप गुप्ता
02. श्री नरेश चौधरी

—वकील प्रार्थी

—वकील अप्रार्थी सं० 1, 4 व 5

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं० 228/2021 बअनुवानी पूनम बनाम प्रदीप वगै० को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से सही न्याय की आशा नहीं है। हम प्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा में स्थगन आदेश जारी किया गया था। जो आज तक प्रभावी है। जिसका निर्णय आज तक नहीं किया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के दिशा-निर्देशों के अनुसार एकतरफा में जारी आदेश का निस्तारण 60 दिन के अन्दर किया जाना आवश्यक है। हमारे गांव का रहने वाला पवन पटवारी है जिसका पीठासीन अधिकारी के यहां आना जाना है। प्रार्थी द्वारा उक्त पटवारी के साथ पूनम को उपखण्ड अधिकारी नीमराना के यहां आते जाते देखा है। पवन पटवारी गांव में ऐलानिया तौर पर कहता है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना से मेरे घरेलू तालूकात है। उक्त प्रकरण का निर्णय पूनम के हक में ही होगा। अप्रार्थी की ओर से उक्त प्रकरण में श्री मकरध्वज एड० नियुक्त है जो बार का अध्यक्ष भी है और राजनितिक प्रभाव है। जिस कारण उपखण्ड अधिकारी नीमराना से सही न्याय की आशा नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, जलंधर

विद्वान वकील अप्रार्थी सं० 1 ने लिखित जवाब व दौराने बहस निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए मौजूदा प्रा०पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश सही प्रकार से पारित किया है। प्रकरण तलवी में लगा हुआ है। जब तक सभी प्रतिवादीगण की तलवी ना हो जाये तब तक प्रा०पत्र का निस्तारण करना असंभव है। पटवारी पवन का पीठासीन अधिकारी के यहां आना जाना नहीं है। तमाम तथ्य गलत दर्ज किये है। मिन प्रार्थी की पटवारी हल्का से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। प्रार्थीनी ने मकरध्वज एड० को अपना वकील नियुक्त कर रखा है। जिनका कोई राजनितिक प्रभाव नहीं है। ना ही उपखण्ड अधिकारी नीमराना पर प्रभाव है। पीठासीन अधिकारी सही प्रकार से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रा०पत्र निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में स्थगन जारी किया हुआ है। प्रकरण में 58 प्रतिवादीगण है। जिनमें से प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की तामील हुई है। पत्रावली शेष पक्षकारान की तलवी हेतु नियत है। प्रतिवादीगण का जवाब प्रा०पत्र पेश होने पर ही टीआई प्रा०पत्र का निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा गलत व मनमानित तथ्य दर्ज किये गये है। श्री मकरध्वज एड० बार नीमराना के अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने से न्यायालय हाजा में कोई प्रभाव हो यह कहना गलत है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा०पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक एवं मनगढंत है। उक्त प्रकरण में स्थगन जारी किया हुआ है। प्रकरण में 58 प्रतिवादीगण है। पत्रावली शेष पक्षकारान की तलवी हेतु नियत है। प्रतिवादीगण का जवाब प्रा०पत्र पेश होने पर ही टीआई प्रा०पत्र का निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी द्वारा गलत व मनमानित तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ-पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना-पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला न्यायालय अलवर
(राजस्थान)